

क्रमांक: अध्यक्ष डिस्कॉम्स/पत्रा० /प्रे० 624

जयपुर, दिनांक: 23.09.14

**कार्यालय-आदेश**

राज्य-सरकार की नीति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 24 घण्टे सिंगल-फेज विद्युत आपूर्ति तथा निर्धारित ब्लॉक में कृषि हेतु थ्री फेज विद्युत सप्लाई देने के लिये विद्युत वितरण कम्पनियों में फीडर सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में किसानों व ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुये टूटे बक्से, क्षतिग्रस्त/ चोरी हुई एम.सी.सी.बी. व ट्रांसफार्मर में स्थापित खराब/ बन्द मीटर वाले सिंगल फेज व थ्री फेज ट्रांसफॉर्मरों को सहायक भण्डार नियंत्रक कार्यालयों में री-कण्डिशनींग करवाने के उपरान्त पुनः मौके पर स्थापित करवाना संभागीय मुख्य अभियन्ता रोडमेप अनुरूप सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु कार्य-प्रणाली में एकरूपता आवश्यक है। अतः वितरण ट्रांसफॉर्मर की री-कण्डिशनींग हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं-

1. पवस के कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा री-कण्डिशनींग हेतु सिंगल फेज एवं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर फीडर वार फीडर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत पूर्व में ही चिन्हित कर लिये गये हैं। तत्पश्चात् संभागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा तय किये गये समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप ही ट्रांसफॉर्मर री-कण्डिशनींग हेतु संबंधित सहायक भण्डार नियंत्रक कार्यालय में भेजे जावें।
2. री-कण्डिशनींग हेतु भेजने से पूर्व सभी सिंगल फेज एवं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मरों का सम्पूर्ण ब्यौरा पृथक-पृथक रजिस्टर में सहायक अभियन्ता कार्यालय में इन्द्राज किया जायेगा जिसमें क्रमवार ट्रांसफॉर्मर का क्रमांक, रेटिंग इत्यादि एवं री-कण्डिशनींग हेतु भेजने का संक्षिप्त कारण, तिथि एवं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में स्थापित मीटर की रीडिंग भी दर्ज की जायेगी, मीटर में रीडिंग न आने की स्थिति में एच.एच.टी. द्वारा मीटर रीडिंग रिकॉर्ड की जायेगी। पूर्व में ली गई रीडिंग में यदि कोई अन्तर हो तो नियमानुसार लेखाकार द्वारा उपभोक्ता के बिलिंग में समायोजित करना सुनिश्चित किया जावे।
3. सहायक अभियन्ता पवस द्वारा किसी कारण रीडिंग नहीं ली जा सकी है तो सहायक अभियन्ता स्टोर में जमा कराते समय इसे स्पष्ट अंकित करें एवं स्टोर में, संभागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित मीटर विंग के मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता द्वारा रीडिंग रिकॉर्ड की जावे।
4. उपरोक्त निरीक्षण में वितरण ट्रांसफॉर्मर में पाई गई त्रुटियों का एक संयुक्त तकमीना बनाया जाकर, त्रुटियों को दर्शाते हुये एक फोटोग्राफ भी लिया जावे।

5. सहायक भण्डार नियंत्रक कार्यालय में री-कण्डशनीग हेतु आये सभी ट्रांसफॉर्मरों के एच.वी. साईड में एल.टी. सप्लाइ देकर ट्रांसफॉर्मर की जाँच करेंगे (कन्ट्रोलर) कि ट्रांसफॉर्मर सही है अथवा नहीं। जांच के दौरान ट्रांसफॉर्मर में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उपरोक्त ट्रांसफॉर्मर की नियमानुसार जी.पी./ बी.जी.पी. के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये व सही पाये जाने पर ट्रांसफॉर्मर में पाई गई त्रुटियों का निरीक्षण सहायक भण्डार नियंत्रक व वृत्त मुख्यालय पर मनोनीत सहायक अभियंता (एम.एस.टी.) द्वारा संयुक्त-रूप से किया जावे व कमियों को दूर करने के पश्चात् मीटर व प्रोटेक्शन बक्से को कम्पलीट वैल्विंग करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करे कि एल.टी. बुशिंग से बस बार चैम्बर व एम.सी.सी.बी., मीटर तक में प्रयुक्त किये गये तारों का साईज निर्धारित क्षमता का है व मीटर स्थापित ट्रांसफॉर्मर के मीटर व एम.सी.सी.बी. के आउटगोइंग टर्मिनल तक सप्लाइ चालू है, सुनिश्चित करने के पश्चात् ही बक्से को वैल्व करेगे व कार्य पूर्ण रिपोर्ट मय सामान का विवरण संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे तथा तैयार री-कण्डशनीग ट्रांसफॉर्मरों का फोटो भी लेंगे। ट्रांसफॉर्मर तैयार होने पर सहायक भण्डार नियंत्रक (एसीओस) व संभागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित अधिकारी संलग्न चैक लिस्ट संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित कर संधारित करेगे। सहायक भण्डार नियंत्रक इस कार्य हेतु अलग से रिकॉर्ड संधारित करेंगे व प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर का लेखा-जोखा रखेंगे।
6. प्रक्रिया के प्रारम्भ में सहायक भण्डार नियंत्रक द्वारा एक अनुमानित कायदेश जिसमें कि किये जाने वाले सभी सम्भावित कार्य का विवरण सम्मिलित करते हुए तकमीना अधीक्षण अभियंता को प्रस्तुत किया जावेगा, तदोपरान्त- तीन कार्य दिवस में वृत्त-अधिकारी द्वारा कायदेश जारी कर दिया जावे। कार्य के भुगतान हेतु प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर अनुसार किये गये कार्यों का विवरण विपत्र में पूर्ण रूप से अंकित कर, अनुमानित कार्य आदेश में अंकित दरों पर सहायक भण्डार नियंत्रक एवं संभागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित वृत्त मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक/अधिशाषी अभियन्ता बिन्दु संख्या 5 में इंगित किये गये कार्य का सत्यापन करने के पश्चात् ही भुगतान करने की कार्यवाही की जावे। सहायक भण्डार नियंत्रक व अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टोर-परिसर के अन्तर्गत रोडमेप अनुरूप समुचित संख्या में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित प्रत्येक दिवस में सिंगल फेज / थ्री फेज के ट्रांसफॉर्मर की री-कण्डशनीग हो।
7. अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि रोड मेप अनुरूप उप-खण्ड-वार/ फीडर-वार ट्रांसफॉर्मर साईट से सर्किल स्टोर में पहुँचाने/ व वापस लाने की व्यवस्था हों, जिसके लिये अधिशाषी अभियन्ता उपखण्ड वार/ फीडर वार कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित सुनिश्चित करेंगे।



8. री-कण्डीशनीग किये गये ट्रांसफॉर्मरों को मौके पर लगाने का पूरा रिकार्ड उस क्षेत्र के कनिष्ठ-अभियंता व सहायक अभियन्ता रजिस्टर में इन्द्राज कर व समय-समय पर उसको जाँच के साथ ही मीटर की रीडिंग प्रत्येक दो माह में लेने एवं उसके उपभोग व उपलब्ध हो तो एम.डी.आई.(भार) का रिकार्ड कम्प्यूटर के माध्यम से रखा जाना/ मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी उपभोक्ता की एम.सी.सी.बी. बार-बार ट्रिप हो रही हो, तो उसका भार जाँच कर, स्वीकृत भार में नियमानुसार वृद्धि स्वीकृत करने के उपरान्त दूसरा री-कण्डीशनीग किया हुआ ट्रांसफॉर्मर ही लगावें। बिना री-कण्डीशनीग/ पुराना ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर दिया जाता है, तो यह कनिष्ठ अभियंता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
9. सहायक अभियंता वितरण अपने कार्यालय के बाहर एक सिंगल फेज व थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की स्थापना का मॉडल पूरी एसेसरीज के साथ स्थापित करेंगे ताकि कर्मचारियों को स्थापना हेतु ट्रेनिंग दी जा सकें।

(म.गु. 23/9/2017)  
(आर. जी. गुप्ता)  
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम्स, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 2 निदेशक (तकनीकी), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम्स, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 3 मुख्य/उप मुख्य/संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम्स, ..... को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि वे अपने अधिनस्थ समस्त संबंधित अधीक्षण/अधिशापी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवावें।

R/14/23/9/2017  
(आर.एन.कुमावत)  
अधीक्षण अभियन्ता-  
प्रा.स., अध्यक्ष डिस्कॉम्स

Office of ACOS, Jaipur / Ajmer / Jodhpur Discom \_\_\_\_\_.

Check list of Reconditioning of Three Phase & Single Phase Transformer.

Date:

Details (3 phase transformers)	Observations	Details (Single Phase Transformers)	Observations
Name of sub-division from which transformer received		Name of sub-division from which transformers received	
<u>TN No.</u>		<u>TN No.</u>	
<u>Make</u>		<u>Make</u>	
<u>Serial No. and capacity in KVA</u>		<u>Serial No. and capacity in KVA</u>	
<u>Flexible PVC Copper Wire size</u> For 10/16 kVA: 1C x 16 sq. mm For 25/40 kVA: 1C x 25 sq. mm		<u>Flexible PVC Copper Wire size</u> For 5 kVA: 1C x 10 sq. mm For 10 kVA: 1C x 25 sq. mm For 16 kVA: 1C x 35 sq. mm For 25 kVA: 1C x 70 sq. mm	
<u>MCCB</u> Make : Rating: 10 KVA – 20 Amp. 16 kVA- 30 Amp. 25 KVA – 40 Amp. 40 KVA – 63 Amp.		<u>MCCB</u> Make : Rating: 5 KVA – 25 Amp. 10 kVA- 50 Amp. 16 KVA – 80 Amp. 25 KVA – 135 Amp.	
<u>Aluminum lugs</u> Rating 10 KVA LT Terminal: 7028/1.0 mm MCCB: 7122/1.0 mm 16 kVA LT Terminal: 7033/1.2 mm MCCB: 7030/1.2 mm 25 KVA LT Terminal: 7035/1.8 mm MCCB: 7034/1.80 mm 40 KVA LT Terminal: 7043/2 mm MCCB: 7140/2 mm		<u>Aluminum lugs</u> Rating 5 KVA LT Terminal: 7028/1.0 mm MCCB: 7120/1.0 mm 10 kVA LT Terminal: 7037/1.8 mm MCCB: 7129/1.8 mm 16 KVA LT Terminal: 7040/1.8 mm MCCB: 7133/1.80 mm 25 KVA LT Terminal: 7043/2 mm MCCB: 7140/2 mm	

<b>Energy Meter (Old):</b> Make & Serial No. Reading Condition		<b>Energy Meter (Old):</b> Make & Serial No. Reading Condition	
<b>Energy Meter (New):</b> Make & Serial No. Reading Condition		<b>Energy Meter (New):</b> Make & Serial No. Reading Condition	
<b>M&amp;P Box Cover</b>		<b>M&amp;P Box Cover</b>	
Status of welding of Clits: at 6 places as per prescribed drawing		Status of welding of Clits: at 2 places as per prescribed drawing	
Status of Connections: well tightened		Status of Connections: well tightened	
Whether transformer is in good condition to install back in field		Whether transformer is in good condition to install back in field	

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

ACOS \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Rank of nominated officer \_\_\_\_\_